CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 20 ▫ रायपुर, बुधवार 12 फरवरी 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

माघ पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम में भक्तों ने लगाई डुबकी

आज शाम राजिम कुंभ कल्प 2025 का होगा आगाज, पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर देंगी प्रस्तुति

राजिम, 12 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के पवित्र तीर्थ त्रिवेणी संगम राजिम में आज राजिम कुंभ कल्प 2025 का शुभारंभ होने जा रहा है. वहीं माघ पूर्णिमा के अवसर पर सुबह त्रिवेणी संगम में हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई. महानदी में स्नान कर श्रद्धालु सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित किया और कुलेश्वर महादेव की पूजा-अर्चना कर परिवार की खुशहाली की कामना की। आज शाम राज्यपाल रमेन डेका कुंभ का शुभारंभ करेंगे, जो 26 फवरी तक चलेगा. उद्घाटन कार्यक्रम में बॉलीवुड पार्श्व गायिका मैथिली ठाकुर विशेष प्रस्तुति देंगी. बता दें कि 20 साल बाद मेला स्थल को बदला गया है. मेला अब संगम स्थल में नहीं, बल्कि वहां से 750 मीटर दूर लक्ष्मण झूला और चौबे बांधा के बीच लग रहा, जहां 54 एकड़ भूमि पर भव्य मंच तैयार किया गया है. इस बार देशभर से प्रख्यात संत-महापुरुषों की उपस्थिति इस महाकुंभ को दिव्यता प्रदान करेगी।

इस वर्ष मेले की थीम पंचकोशी धाम पर आधारित होगी, जो श्रद्धालुओं को आध्यात्मिकता और संस्कृति का भव्य अनुभव प्रदान करेगी। इस आयोजन के तहत धार्मिक अनुष्ठान, प्रवचन, संत समागम और आध्यात्मिक संगोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा. 12 फरवरी माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होने वाले राजिम कुंभ कल्प मेला का समापन 26 फरवरी महाशिवरात्रि को होगा. इसके साथ ही 21 फरवरी से 26 फरवरी तक विराट संत समागम होगा. इस दौरान 12 फरवरी माघ पूर्णिमा, 21 फरवरी जानकी जयंती और 26 फरवरी महाशिवरात्रि को पर्व स्नान भी होंगे, जिसमें शाही जुलूस भी निकाली जाएगी. 12 फरवरी सुबह माघ पूर्णिमा के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पुण्य स्नान करेंगे. पुण्य स्नान पश्चात भगवान राजीव लोचन एवं कुलेश्वर महादेव, दानदानेश्वर, बाबा गरीबनाथ, लोमष ऋषि आश्रम दर्शन कर पुण्य लाभ लेंगे. राजिम कुंभ कल्प मेले में देशभर से साधु-संतों, कथा वाचकों और श्रद्धालुओं का आगमन होगा। धार्मिक कार्यक्रमों के साथ-साथ स्थानीय संस्कृति, लोककला और आध्यात्मिक संगोष्ठियों का आयोजन इस बार के कुंभ कल्प मेले को विशेष बनाएगा। मेला प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पेयजल, शौचालय, पार्किंग, रुकने और खाने-पीने की विशेष व्यवस्था की गई है। नदी क्षेत्र में बनाए गए संत समागम स्थल पर 21 फरवरी से 25 फरवरी तक दतिया म.प्र. से पहुंचे गुरुशरण महाराज (पंडोखर सरकार) का सत्संग दरबार लगाया जाएगा। महाराज शाम 4 बजे से 7 बजे सत्संग करेंगे। इसी प्रकार 13 फरवरी से 19 फरवरी तक भागवत कथा का आयोजन किया गया है। जहां उदयपुर राजस्थान से पधारे डॉ. संजय कृष्ण सलिल महाराज प्रवचन देंगे। कथा का आयोजन शाम 4 बजे से 7 बजे तक रखा गया है।

प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुओं का रेला

नई दिल्ली, 12 फरवरी (न्यूज चैनल)। माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर चल रहे महाकुंभ में बुधवार को त्रिवेणी संगम पर पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक 48.83 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। इस बीच, माघ पूर्णिमा पर अयोध्या की सरयू नदी में भी श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। वाराणसी में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को माघ पूर्णिमा के अवसर पर समस्त श्रद्धालुओं और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दीं।

प्रयागराज में माघ पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। संगम तट के दोनों ओर श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर सुबह-सुबह ही करीब एक करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई है। माघ पूर्णिमा पर सबसे पहले नागा साधुओं के अखाड़ों ने डुबकी लगाई। इसके बाद अखाड़ों और फिर साधु-संतों ने पवित्र स्नान किया। इस प्रक्रिया के बाद ही श्रद्धालुओं ने स्नान करना शुरू किया। संगम तट पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की जा रही है। महाकुंभ में अब तक 46.25 करोड़ से अधिक श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं।

तेज रफ़्तार ट्रक ने पिता-पुत्री को मारी टक्कर, एक की मौत

कांकेर, 12 फरवरी (हाईवे चैनल)। पखांजूर थाना अंतर्गत माटोली चौक में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्री बुरी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस हादसे में शिक्षिका पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार, धान से भरे तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार पिता-पुत्री को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि शिक्षिका पुत्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिता को गंभीर चोटें आईं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी,

ब्रेकिंग न्यूज

1984 सिख विरोधी दंगे मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार

नई दिल्ली, 12 फरवरी (न्यूज चैनल)। 1984 सिख विरोधी दंगे मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दो लोगों की हत्या के लिए दोषी ठहराया। यह मामला एक नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता-पुत्र की हत्या से जुड़ा है।

राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास नहीं रहे

नई दिल्ली, 12 फरवरी (न्यूज चैनल)। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का बुधवार को यहां एक अस्पताल में निधन हो गया। सूत्रों ने बताया कि 85 वर्षीय सत्येंद्र दास को इस महीने की शुरुआत में ब्रेन स्ट्रोक के बाद संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआई) में भर्ती कराया गया था। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक, अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी सतेंद्र दास जी ने आज (12 फरवरी) अंतिम सांस ली।

राहुल गांधी कोर्ट में तलब, अब 24 मार्च को होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली, 12 फरवरी (न्यूज चैनल)। लखनऊ की एक अदालत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कथित तौर पर भारतीय सैनिकों के लिए मानहानिकारक बयान देने के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं सांसद राहुल गांधी को तलब किया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम एल) आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च की तारीख तय की है। इससे पहले सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक (भारतीय सेना में कर्नल के समकक्ष) उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से अधिवक्ता विवेक तिवारी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की याचिका दायर की थी।

चूहा- सुनती हो, अन्ना हजारे खुश हैं कि केजरीवाल हार गए।

चुहिया- हां जी, उनको जनता को शुक्रिया करना चाहिए...!

मुफ्त की योजनाओं के ऐलान से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा- इससे लोग काम नहीं करेंगे

नई दिल्ली, 12 फरवरी (न्यूज चैनल)। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव में राजनीतिक पार्टियों के मुफ्त के वादे करने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इससे लोगों की काम करने की इच्छा नहीं होगा क्योंकि उन्हें राशन और पैसे मुफ्त मिलते रहेंगे। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई की, जिसमें बेघर लोगों को शहरी इलाकों में आश्रय स्थल मुहैया कराने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि %दुर्भाग्य से, मुफ्त वाली योजनाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है और उन्हें बिना कोई काम किए पैसे मिल रहे हैं। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी बेघर लोगों की चिंता किए जाने की हम तारीफ करते हैं, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं होगा कि इन लोगों को समाज की मुख्य धारा में शामिल किया जाए और देश के विकास में इन्हें भी योगदान देने का मौका मिले।% केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमाणी ने पीठ को बताया कि केंद्र सरकार शहरी इलाकों में गरीबी को मिटाने के लिए प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है। जिसमें शहरी इलाकों में बेघर लोगों को आश्रय देने का भी प्रावधान होगा। इस पर पीठ ने उन्हें केंद्र सरकार से पूछकर यह स्पष्ट करने को कहा कि कितने दिन में इस योजना को लागू किया जाएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह हफ्ते के लिए टाल दी।

मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में लाए गए कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बताया कि वे इस मामले पर 19 फरवरी को सुनवाई करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने याचिकाकर्ता एनजीओ की तरफ से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण को यह जानकारी दी। वकील प्रशांत भूषण ने अपील की कि याचिका पर जल्द सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि जल्द ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। कानून को चुनौती देने वाली याचिका एनजीओ एडीआर ने लगाई है।

शराब घोटाला मामले में एजाज ढेबर की बढ़ सकती है मुश्किलें

रायपुर, 12 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के चर्चित दो हजार करोड़ के शराब घोटाले के रडार में आए पूर्व महापौर एजाज ढेबर की मुश्किलें बढ़ सकती है. शराब घोटाले मामले में ईओडब्ल्यू ने एजाज ढेबर और उनके परिजनों को नोटिस दिया है. आज ईओडब्लयू के समक्ष एजाज ढेबर की पेशी हो सकती है.

ईओडब्लयू में हो सकते हैं पेश

बता दें कि जनवरी 2024 में ईडी ने राज्य की जांच एजेंसी ईओडब्ल्यू-एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई थी. ईडी ने एफआईआर के लिए दिए अपने आवेदन में कहा था कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन के तत्कालीन एमडी एपी त्रिपाठी, कारोबारी अनवर ढेबर के अवैध सिंडिकेट के जरिए दो हजार करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले को अंजाम दिया है. ईओडब्ल्यू-एसीबी ने जांच शुरू करते हुए डुप्लीकेट होलोग्राम का खुलासा किया था. अनवर ढेबर की जमीन खोदकर बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट होलोग्राम निकाले गए थे. अब ढेबर परिवार से पूर्व महापौर एजाज ढेबर और उनके करीबी रिश्तेदारों से ईओडब्ल्यू पूछताछ कर सकती है। हाल ही में शराब घोटाला मामले की जांच कर रही श्वष्ठ ने पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के ठिकानों पर दबिश देकर उन्हें हिरासत में लिया था. कवासी को कोर्ट में पेश कर उनकी रिमांड ली गई थी. कवासी लखमा फिलहाल जेल में है. श्वष्ठ ने अपने बयान में यह कहा था कि लखमा को हर महीने घोटाले क दो करोड़ रुपए कमीशन दिया जाता था.

तत्कालीन भूपेश सरकार में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, उनके बेटे यश टुटेजा और ष्टरू सचिवालय की तत्कालीन उपसचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ आयकर विभाग ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में 11 मई, 2022 को याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया कि छत्तीसगढ़ में रिश्वत, अवैध दलाली के बेहिसाब पैसे का खेल चल रहा है, जिसमें रायपुर महापौर रहे एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर अवैध वसूली करता है. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में दायर याचिका के आधार पर श्वष्ठ ने 18 नवंबर, 2022 को पीएमएलए एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था. आयकर विभाग से मिले दस्तावेज के आधार पर श्वष्ठ ने जांच के बाद 2161 करोड़ के घोटाले की बात का कोर्ट में पेश चार्जशीट में जिक्र किया था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि किस तरह एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के ज़रिये आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया. ईडी ने चार्जशीट में कहा था कि साल 2017 में आबकारी नीति में संशोधन कर ष्टस्स्ष्टरुके ज़रिये शराब बेचने का प्रावधान किया गया, लेकिन 2019 के बाद शराब घोटाले के किंगपिन अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को ष्टस्स्ष्टरु का स्ष्ठ नियुक्त कराया, उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनैतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के ज़रिये भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 2161 करोड़ का घोटाला हुआ।

हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला- पत्नी की सहमति के बिना अन-नेचुरल सेक्स अपराध नहीं, पति को जेल से रिहा करने का दिया आदेश

बिलासपुर, 12 फरवरी (हाईवे चैनल)। पत्नी की सहमति के बिना उनके साथ अननेचुरल यौन संबध बनाना अपराध नहीं है. हाईकोर्ट ने एक मामले में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि पति पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत बलात्कार या धारा 377 के तहत अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है. भले ही वह अपनी वयस्क पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता हो.

न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने ऐसे मामलों में पत्नी की सहमति को कानूनी रूप से महत्वहीन बताते हुए कहा कि यदि पत्नी 15 वर्ष से कम आयु की नहीं है तो पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किए गए किसी भी यौन संबंध या यौन कृत्य को इन परिस्थितियों में बलात्कार नहीं कहा जा सकता है, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 377 के तहत अपराध नहीं बनता है.

दरअसल, मृतक पीड़िता का पति 11 दिसंबर 2017 की रात को कथित तौर पर अपनी पत्नी की इच्छा के विरुद्ध उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए. इसके बाद तबियत बिगड़ने पर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गई और अपीलकर्ता के खिलाफ

धारा 377 आईपीसी के तहत जुर्म दर्ज की गई. पीड़िता का मृत्यु पूर्व बयान एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने दर्ज किया, जिसमें उसने कहा कि वह अपने पति द्वारा जबरदस्ती किए गए यौन संबंध के कारण बीमार पड़ गई. उसी दिन उसकी मृत्यु हो गई. साक्ष्यों का मूल्यांकन करने के बाद ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 377 (अप्राकृतिक अपराध), 376 (बलात्कार के लिए सजा) और 304 (हत्या के लिए दोषी न होने वाली गैर इरादतन हत्या के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया. उन्हें डिफॉल्ट शर्तों के साथ 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. इस फैसले के खिलाफ उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक अपील दायर की.

मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि धारा 375, 376 और 377 आईपीसी के अवलोकन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि धारा 375 आईपीसी की संशोधित परिभाषा के मद्देनजर पति और पत्नी के बीच धारा 377 आईपीसी के तहत अपराध का कोई स्थान नहीं है. इस तरह बलात्कार नहीं किया जा सकता है. धारा 375 आईपीसी के अपवाद 2 पर जोर देते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक पुरुष और उसकी पत्नी के बीच यौन संबंध या यौन क्रियाएं यदि पत्नी 15 वर्ष से अधिक उम्र की है तो बलात्कार नहीं माना जाता है. नतीजतन भले ही एक पति अपनी वयस्क पत्नी के साथ धारा 377 आईपीसी के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है, यह अपराध नहीं माना जाता है. न्यायालय ने धारा 304 आईपीसी के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के संबंध में इसे विकृत माना और टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा, आईपीसी की धारा 304 के तहत अपराध मामले के वर्तमान तथ्यों से कैसे जुड़ा है और अभियोजन पक्ष द्वारा कैसे साबित किया गया है, फिर भी इसने अपीलकर्ता को धारा 304 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया है, जो विकृति और स्पष्ट अवैधता के अलावा और कुछ नहीं है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिए. कोर्ट ने अपीलकर्ता को सभी आरोपों से बरी करते हुए उसे जेल से रिहा करने का आदेश दिया.

कांग्रेस के 18 निष्कासित नेताओं की हुई घर वापसी

रायपुर, 12 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव खत्म होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने 18 नेताओं का निष्कासन रद्द करते हुए उन्हें फिर से पार्टी में शामिल कर लिया है. इसका आदेश प्रदेश प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू ने जारी किया है. रायपुर के अजीत कुकरेजा, बिलासपुर के जसबीर गुब्बर, महासमुंद के विश्वजीत बोहरा, दंतेवाड़ा के मनोज मालवीय समेत अन्य 14 नेताओं को वापस पार्टी में लाया गया है. इन नेताओं की पार्टी में वापसी के लिए एक छानबीन समिति का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसा पर यह निर्णय लिया गया।

नगरीय निकाय चुनाव : प्रदेश में 72.19 प्रतिशत हुआ मतदान, कोरिया में सबसे अधिक तो बिलासपुर में पड़े सबसे कम वोट

रायपुर, 12 फरवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ. 33 जिलों के नगरपालिकाओं में कुल 72.19त्न मतदान हुआ है. प्रदेश भर में हुए मतदान में पुरुषों का प्रतिशत 73.07त्न, महिलाओं का 71.66त्न और तृतीय लिंग का 19.75त्न दर्ज किया गया. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार कुछ जिलों में मतदान का प्रतिशत अत्यधिक था, जबकि बिलासपुर, रायपुर जैसे कुछ जिलों में यह काफी कम था.

CMYK